

भाग-iii(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

हाँ

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

27.01.2021

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

संलग्न है।

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक 28.01.2021

स्थान - वाराणसी

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

वन संरक्षक

हस्ताक्षर वाराणसी वृत्त, वाराणसी

नाम-

सरकारी मोहर

## निरीक्षण टिप्पणी

भटनी-औड़िहार रेलवे लाइन (किमी 1.00 से 125.00) के दोहरीकरण में गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे० संरक्षित वन भूमि, एवं बाधक 1442 वृक्ष, बलिया वन प्रभाग में 33.29 हे० व बाधक 2172 वृक्ष, जनपद मऊ वन प्रभाग में 29.5769 हे० व बाधक 1049 वृक्ष तथा जनपद-देवरिया वन प्रभाग में 38.8223 हे० व बाधक 2052 वृक्ष कुल प्रभावित 162.8776 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक कुल-6715 वृक्ष के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्ध प्रस्ताव रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उक्त स्थल का निरीक्षण प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजीपुर, मुनेंद्र कुमार, प्रबन्धक, सिविल, आर०वी०एन०एल०, रेल विकास निगम लि० वाराणसी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-27.01.2021 को किया गया। समयक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और मांगी गयी संरक्षित वन भूमि परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

वन संरक्षक,  
वाराणसी वृक्ष, वाराणसी  
वाराणसी वृक्ष, वाराणसी

भाग-iii(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

नहीं

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

स्वीकृत है

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्थान की जाली है।

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक 22/12/2020  
स्थान - झांझगढ़

हस्ताक्षर Boni C. K. S.  
नाम- वन संरक्षक  
सरकारी मोहर झांझगढ़ वृत्त आजमगढ़

भाग-iii(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

नहीं

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत है।

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन प्रस्ताव स्वीकृति करने की संस्तुति की जाली है।

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक 04/01/2021  
स्थान - आजमगढ़

हस्ताक्षर Bonik A. Lohar  
नाम- वन संरक्षक  
सरकारी मोहर आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़

### भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

नहीं

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत है।

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

प्रस्ताव स्वीकृत करने की  
संस्तुति की जाती है।

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक 29-12-2020

स्थान - गोखपुर

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

वन संरक्षक

विष्णु नन्द, बोरवड़ा